



झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद्



स्थान : रिम्स परिसर, राँची, टेली-फैक्स: 0651-2544027

www.jspc.in

E-mail: jspranchi@gmail.com

सं.सं.-पारा.मेडि.-04 / 2011.....

डॉ.राजेन्द्र पासवान
निदेशक प्रमुख
स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड
सह अध्यक्ष

कार्यालय आदेश

दिनांक 28/6/18 को सम्पन्न शासी परिषद् की बैठक में लिये गये निम्न निर्णय जो नये पारामेडिकल संस्थान खोलने हेतु आवश्यक है, को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जा रहा है।

प्रो.डॉ.विवेक कश्यप
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
पी. एस. एम. विभाग
रिम्स, राँची सह
सदस्य-सचिव एवं कार्यकारी
निदेशक

1. झारखण्ड पारामेडिकल परिषद् गठन नियमावली 2010 के कण्डिका 23 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न पाठ्यक्रमों को पारामेडिकल कोर्सेज में शामिल किया जाता है।

(i) एक वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (क) चिकित्सा प्रयोगशाला परिचर पाठ्यक्रम
(ख) विकिरण प्रयोगशाला परिचर पाठ्यक्रम
(ग) दन्त चिकित्सा परिचर पाठ्यक्रम

(ii) दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम:- (क) Radio Imaging Tech. जिन संस्थानों से सम्बद्ध अस्पतालों में MRI, CT Scan एवं USG आदि की सुविधा होगी वहाँ X-Ray/Radio Imaging Tech. की एवं जहाँ मात्र X-Ray की सुविधा होगी वहाँ X-Ray Tech/Radiographer की मान्यता दी जायेगी।

(ख) Dialysis Tech.

2. नये पारामेडिकल संस्थान की मान्यता के पूर्व निरीक्षण के दौरान सभी मशीनों पर पंचिंग मशीन से तथा उपकरणों पर परमानेंट मार्कर से प्रस्तावित संस्थान का नाम खुदवाना/लिखवाना होगा।

3. नये पारामेडिकल संस्थान की मान्यता हेतु आवेदन प्राप्ति की अवधि प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर से दिसम्बर तक होगी।

यह आदेश बैठक की तिथि 28/6/18 के प्रभाव से लागू है।

(सदस्य सचिव)

ज्ञापांक 211..... राँची, दिनांक 25/10...../2018

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव स्वास्थ्य चि.शि. एवं प.क. विभाग झारखण्ड राँची / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ झारखण्ड, राँची को समचनार्थ प्रेषित।

डॉ.आई.डी. चौधरी
निबंधक

(सदस्य सचिव)
25/10/18